न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/100/2020

दिनेश चन्द पुत्र प्रभुदयाल शर्मा ग्राम व पोस्ट जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी,डीग ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 15.01.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट दिनेश चन्द पुत्र प्रभुदयाल शर्मा ग्राम व पोस्ट जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी,डीग से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी,डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/839 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी,डीग से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी,डीग से उनके पत्रांक 9525 दिनांक 04.01.2021 जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी,डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी,डीग से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी,डीग से प्राप्त जबाव पर गौर किया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 01,03,04 को धारा 6(3) के तहत तहसीलदार डीग को हस्तांतरित किया गया । बिन्दु संख्या 05 के सम्बन्ध में देवस्थान विभाग से तकनीकी राय मांगी गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस सम्वन्ध में न तो अपीलान्ट को सूचित किया और न की गई कार्यवाही की कोई प्रतिलिपि अथवा छाया प्रति अपने जबाव के साथ संलग्न की हैं। उपखण्ड अधिकारी डीग के जवाव से यह कतई प्रतीत नहीं होता कि उनके द्वारा अपीलान्ट को सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हों। उपखण्ड अधिकारी का जबाव अस्पष्ट है। जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,डीग को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी,डीग को प्रेषित हो। अपीलान्ट को भी सूचनार्थ भेजी जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:03:34 IST
Reason: SelfAttested

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर